पंचायत समिति सलूणी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति सलूणी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान पंचायत समिति सलूणी में निम्नलिखित अध्यक्ष,मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव कार्यरत रहे :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती निशि महाजन	01-04-2022 से 01-10-2022
2.	श्री रणविजय कटोच	01-10-2022 से 16-11-2022
3.	श्री इशांत जसवाल	17-11-2022 से 31-12-2022
4.	श्रीमती स्वाति गुप्ता	04-01-2023 से 15-03-2023
5	श्री ओम प्रकाश ठाकुर	16-03-2023 से 04-08-2023
6.	श्री महेश चंद ठाकुर	07-08-2023 से 12-02-2024
7.	श्री कवंर सिंह	12-02-2024 से 31-03-2024

2. अध्यक्षा

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती कंगना सेठी	01-04-2022 से 31-03-2024

3. सचिव & DDO

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री दर्शन कुमार	01-04-2022 से 16-08-2023
2.	श्री आयूब खान	16-08-2023 से 31-03-2024

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

पंचायत समिति सलूणी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	पंचायत राजस्व दुकानों के किराए की राशि वसूली हेतु लम्बित एवं दुकानों के आवंटन में पाई गई अन्य विविध अनियमितताओं बारे।	7.1 7.2	₹4.94 ----
02.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण चयनित माह के दौरान सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.1	₹0.03
03.	निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित एवं मापन पुस्तिका एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना।	8.2	₹3.20
04.	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान बारे।	9.1	₹3.29
05.	सक्षम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित/अनुचित भुगतान	9.2	₹3.96
06.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे	9.3	₹3.29
07.	15वें वित्तायोग से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे।	9.4	₹17.80

(घ) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

पंचायत समिति सलूणी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2025/05 दिनांक 04-02-2025 द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अनुरोध के

प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अंकेक्षण प्रतिवेदन का कार्यालय में उपलब्ध न होना आपतिजनक है इसे शीघ्र ही उचित स्त्रोत से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किये जाये तथा अनिर्णीत पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन को शीघ्र प्राप्त करके इसमें में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये तदानुसार कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को शीघ्र अवगत करवाये जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	-
2.	4(i)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित।
3.	4 (क से ग)	अनिर्णीत	-
4.	5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित।
5.	6	अनिर्णीत	-
6.	7	अनिर्णीत	-
7.	7.1	अनिर्णीत	-
8.	8	अनिर्णीत	-
9.	8.1	अनिर्णीत	-
10.	9	अनिर्णीत	-
11.	10	अनिर्णीत	-
12.	11	अनिर्णीत	-
13.	12	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

पंचायत समिति सलूणी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार क० लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04-02-2025 से 14-02-2025 तक पंचायत समिति सलूणी के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	11/2022	03/2023
2.	2023-2024	04/2023	09/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेखों के आधार पर किया गया। उक्त संस्थान द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

पंचायत समिति सलूणी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2025/13 दिनांक 14-02-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

पंचायत समिति सलूणी, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) स्वः-स्त्रोत व अनुदान पंचायत समिति सलूणी, के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्वः-स्त्रोत, PS, Honourium & 5th SFC

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	कुल प्राप्ति (₹)	कुल योग (₹)	कुल व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	**6373833.00**	**1332299.00**	**7706132.00**	**582767.00**	**7123365.00**
2023-24	**7123365.00**	**1325540.00**	**8448905.00**	**2698354.00**	**5750551.00**

2. अनुदान (15वां वित्तायोग)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	कुल प्राप्ति (₹)	कुल योग (₹)	कुल व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	**8947447.00**	**9087945.00**	**18035392.00**	**6054407.00**	**11980985.0**
2023-24	**11980985.0**	**1055238.00**	**13036223.00**	**4342170.00**	**8694053.00**

कुल योग (1+2) **₹5750551.00 + ₹8694053.00 = ₹14444604.00**

नोट :उक्त वित्तीय विवरण समिति द्वारा संधारित मेनुअल रोकड़बही तथा 15वें वित्तायोग की ऑनलाइन में संधारित रोकड़बही से तैयार किया गया है कृपया पैरा संख्या 4.3 व 4.4 में पूर्ण विवरण देखें।

(ब) पंचायत समिति सलूणी,का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण

क्र०स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15th FC	9734000100023322	PNB Salooni	**6599672.00**
2.	General, 5th SFC & P.S. Own Source etc.	18910109782	HPSCB Salooni	**5174690.00**
			Cash In hand	**0.00**
			TOTAL	**₹11774362.00**

अन्तर (अ-ब) ₹14444604.00 - ₹11774362.00 = ₹2670242.00

4.2 वित्तीय वर्ष 2023-2024 के 15वें वित्तायोग का अंकेक्षण तथा इससे सम्बन्धित पैरों का प्रारूपण ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹26.70 लाख का भारी अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति सलूणी, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **15(10)(ख)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹2670242.00 का भारी अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

उक्त भारी अंतर की बैंक समाधान विवरणियां अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की, इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 13-12-2025 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं गत तथा वर्तमान अंतर का शीघ्र मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस बाबत आपत्ति उठाने उपरान्त भी बैंक समाधान विवरणियां का तैयार न किया जाना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति किया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है इससे न केवल लेखों के रख-रखाव अपितु इससे किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है अत: यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई व सूचनार्थ लाया जाता है। उक्त अनियमितता के संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

4.4 पंचायत समिति के समस्त लेखों का रख-रखाव ऑनलाइन प्रणाली (e-gram swaraaj/ Priya Soft.) में न किये जाने बारे :-

निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास हि० प्र० के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-75 दिनांक 24-01-2018 के अंतर्गत समस्त PRIs (पंचायती राज संस्थाओं) को लेखों का रख-रखाव मार्च, 2018 के बाद ऑनलाइन माध्यम में किया जाना अनिवार्य किया गया था।

पंचायत समिति सलूणी के अंकेक्षण दौरान समिति द्वारा केवल 15वें वित्तायोग की रोकड़बही का संधारण ही ऑनलाइन (e-gram स्वराज) माध्यम से किया गया था अन्य अनुदानों व स्व-स्त्रोत

की रोकड़बहियों का संधारण केवल एकल रोकड़बही में मेनुअल माध्यम से ही किया गया था जोकि उक्त आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 13-02-2025 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में अन्य अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का ऑनलाइन किया जायेगा । प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: उक्त अनियमितता को नियमानुसार न्यायोचित ठहराये जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

4.5 पंचायत समिति द्वारा समस्त ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों,सचिवों,तकनीकी सहायकों के मानदेय व वेतन को गत वित्तीय विवरणों में सम्मिलित करने बारे।

पंचायत समिति के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा विकास खंड के तहत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का मानदेय व समस्त पंचायत सचिवों व सहायकों के वेतन इत्यादि को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में प्रस्तुत आय-व्यय विवरण में दर्शाया गया था जबकि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इसे आय-व्यय विवरणों में नहीं लिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 13-02-2025 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा सूचित किया कि, गत अंकेक्षण के समय सचिवों व तकनीकी सहायकों के वेतन तथा प्रतिनिधियों के मानदेय को (सबकी एक ही रोकड़बही संधारित करने के कारण) गलती से आय-व्यय विवरण में शामिल किया गया था जोकि पंचायत समिति के अनुदान व निधि का भाग नहीं है लेकिन वर्तमान अंकेक्षण में दुरुस्त करके केवल पंचायत समिति के अनुदान व स्व-स्त्रोत को लिया गया है। इसके अतिरिक्त मैन्युअल संधारित रोकड़बही का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था । इसमें न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की

सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । अत: उक्त मामले में शीघ्र नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये ।

4.6 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं। अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था अपितु समिति द्वारा स्व-स्त्रोत, सचिवों व तकनीकी सहायकों का वेतन, ग्राम पंचायत व समिति के प्रतिनिधियों, चौकीदारों, सिलाई टीचरों का मानदेय व वेतन तथा 5वें वित्तायोग का ही एकल मेनुअल/ऑफलाइन रोकड़बही तह एक ही बैंक खाते में संधारण/संचालन किया जा रहा है जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है ।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 13-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व:-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा । उत्तर सन्तोषजनक नहीं है । अत: इस सम्बन्ध में शीघ्र आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

5.1 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त व्याज की आय से वांचित होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकंर्म, कराधान व भत्ते नियम 2002 के **नियम 11** के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है । ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके ।

परन्तु पंचायत समिति द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था । जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था । इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है । इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 13-02-2025 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, भविष्य में नियमानुसार निवेश किया जायेगा । अत: भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹86.94 लाख का अवरोधन :-

पंचायत समिति द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान (व स्व-स्त्रोत) से प्राप्त राशियों में से ₹8694053 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत समिति द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि समिति द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 13-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर व्यय किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए उक्त अनुपयुक्त अनुदान राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया राशि ₹4.94 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** में प्रावधान है कि, पंचायत समिति का सचिव देखेगा कि, समस्त राजस्व सही ढंग से व अविलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित,वसूल व सम्बधित समिति के खातों में जमा करवाया गया है।

पंचायत समिति सलूणी के अंकेक्षण में पाया गया कि, समिति द्वारा चौबीस दुकानें किराये पर दी थी। इनमें अधिकतर दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था तथा दिनांक 31-03-2024 तक निम्नविवरणानुसार कुल राशि ₹493990/- वसूली हेतु शेष है। पंचायत समिति द्वारा उक्त किराये पर आबंटित दुकानों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा किरायेदार खाताबही, मांग व वसूली रजिस्टर, विस्तृत विवरण इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किराये की मांग, वसूली व गत बकाया की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। समिति द्वारा केवल निम्न संकलित विवरण ही प्रस्तुत किया गया।

Year	Opening	Demand	Total	Collection	Rebate	Closing
2022-23	384550	108360	492910	61860	0	431050
2023-24	431050	108360	539410	45420	0	493990

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 14-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, किराये की लम्बित राशि की वसूली शीघ्र की जायेगी। उत्तर समिति द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः दुकान किराया की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 पंचायत समिति द्वारा किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

पंचायत समिति सलूणी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार समिति के पास कुल चौबीस दुकानें हैं जोकि किरायेदारों को बिना किसी कमेटी गठन के आबंटित की गई थी एवं इन के सम्बन्ध में न कोई अभिलेख तैयार किये गए थे एवं न ही निम्न वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं की गई है।

1. पंचायत की सम्पति (दुकानों इत्यादि) को सरकारी दिशा-निर्देशों अनुसार किराये पर देने हेतु किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

2. पंचायत समिति द्वारा किराये पर दुकानों का आवंटन बिना किरायदारों के साथ किसी अनुबन्ध के किया गया जोकि नियमानुसार अनुचित है।

3. पंचायत समिति ने किरायेदारों से सम्बन्धित अभिलेखों/खाताबही को नियमानुसार तैयार नहीं किया जा रहा है जिससे कि गत बकाया राशि, मांग इत्यादि को सत्यापित नहीं किया जा सका।

4. किराये का निर्धारण, उसमें वार्षिक बढ़ौतरी इत्यादि हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, नियमों इत्यादि को अनदेखा किया गया है।

5. समिति की छः दुकानें ऐसी है जिनका बीते सात-आठ सालों से किराया प्राप्त नहीं हो रहा और पंचायत समिति द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी ठोस पग नहीं उठाये गये हैं जोकि अत्यंत चिंताजनक है।

6. पंचायत समिति सलूणी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2025/02 दिनांक 04 फरवरी 2025 के सन्दर्भ में किरायेदारों अनुसार विस्तृत विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया समिति द्वारा केवल संकलित वार्षिक विवरण ही दिया गया चूँकि विस्तृत विवरण प्राप्त न होने से मांग, गत बकाया शेषों के विवरण की पुष्टि/सत्यापन नहीं किया जा सका।

इस गम्भीर अनियमितता के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 14-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में उक्त अनियमितताओं में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। इससे राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को चयनित माह के दौरान राशि ₹0.03 लाख की वित्तीय हानि :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (C,I) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

पंचायत समिति सलूणी के अभिलेखों के चयनित माह 03/2023 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार अनुसार राशि ₹1614480/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹3229.60/- (2%) की वित्तीय हानि भी हुई।

Sr.No/ Head	Vr. No/ Date	Detail of Supllier	Detail of Service	Amount	Tds@2%	Applicable act & Sec.
1.15th FC	44/ 21-03-2023	M/S Pankaj Kumar PO Kharoti,Salooni	Hiring Charges of JCB Machine	90860	1817.20	IT Act 1961 Section 194 (I)
2. Do	44/21-03-2023	do	do	70620	1412.40	do
			Total	**161480.00**	**3229.60**	

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 13-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस. की कटौती नहीं की जा रही है लेकिन शीघ्र ही इसकी कटौती करके कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: पंचायत समिति द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना न केवल आयकर अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं उक्त राशि व भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों से सम्बंधित मापन पुस्तिका एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

पंचायत समिति सलूणी की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निम्नविवरणानुसार करवाए गए कार्यों की माप पुस्तिका, फॉर्म 13-C (प्रपत्र-34) उपयोगिता प्रमाण

पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

Sr.No/ Head	**Detail of work**	**Sanction amount**	**Documents not produced**
1. 15th FC	C/o Link Road Drod to Khill	120000	MB, Form 13C In Format-34,UCC .etc
2. 15th FC	C/o Link Road Thola to Drod	100000	
3. 15th FC	C/o Footpath to Panihara Katara	100000	
	TOTAL	**320000**	

इस सन्दर्भ में बार-बार मौखिक आग्रह एवं अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 13-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त कार्यो से सम्बंधित अभिलेखों को प्रस्तुत करने हेतु कनिष्ट अभियंता को कई बार सूचित किया परन्तु उन्होंने उक्त कार्यों से सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया जिससे यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.1 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के चयनित माह के दौरान राशि ₹3.29 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित भुगतान :-

पंचायत समिति सलूणी के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "4" के अनुसार राशि ₹329484 का भुगतान स्टोर/स्टॉक व सेवाओं के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल कंप्यूटर जनरेटेड/प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर Cash मीमो व परफ़ोर्मा बिल ही हैं। जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इसके अतिरिक्त प्रॉपर/टैक्स बिल न होने के अभाव में यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन पर नियमानुसार अपेक्षित कर कटौती उपरान्त इसे सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 13-02-2025 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, जानकारी न होने के अभाव में अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समिति द्वारा GST सहित भुगतान भी किया गया है इस मामले की समिति स्तर पर छानबीन उपरान्त कृत कर्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र सूचित कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के भुगतान करना संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये ताकि किसी भी प्रकार से कर अदेयता के मामलों की संभावना को पूर्णत: नकारा जा सके अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही चयनित माह के दौरान राशि ₹3.96 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)** के अनुसार पंचायत समिति द्वारा कोई भी भुगतान पंचायत समिति के अध्यक्ष व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अदायगी धारित करने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹396984/- का भुगतान चयनित माह के दौरान किया गया था परन्तु इन बिलों पर अदायगी आदेश एवं पारित प्रस्ताव संख्या अंकित नहीं पाये गए तथा इनका भुगतान केवल समिति सचिव के एकल हस्ताक्षर द्वारा ही कर दिया गया था। जबकि नियमानुसार समिति के चेयरमैन व सीईओ दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अत: उक्त वित्तीय नियमों के प्रतिकूल किये गये भुगतान अनियमित व संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 13-02-2025 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव ने कहा कि, पंचायत समिति के समस्त बिलों पर केवल समिति सचिव/पंचायत निरीक्षक द्वारा ही हस्ताक्षर किये गए हैं लेकिन भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को

न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.3 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही चयनित माह के दौरान राशि ₹3.29 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत समिति के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा **परिशिष्ट "3"** के विवरणानुसार राशि ₹**329484**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इससे पंचायत समिति को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 13-02-2025 द्वारा उक्त प्रकरण समिति के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.4 15वें वित्तायोग से चयनित माह के दौरान ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित राशि ₹17.80 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 88 के अनुसार समिति द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रदत सहायता अनुदान के उपयोगिता

प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करते हुए कि,पंचायत द्वारा अनुदान उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये यह मंजूर किये गये है अनुदान प्रदत संस्थान को प्रेषित किये जाने अपेक्षित हैं।

पंचायत समिति के चयनित माह 03/2023 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा 15वें वित्तायोग से ग्राम पंचायतों को विकास/निर्माण कार्यों हेतु संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार राशि ₹1780000 का हस्तांतरण किया गया था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान उक्त दर्शाई गये सहायता अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 13-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि,15वें वित्तायोग के तहत ग्राम पंचायतों को वितरित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र ही प्राप्त किये जायेंगे।

प्रस्तुत उत्तर व तथ्यों के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि समिति द्वारा समय पर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये और न ही यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि, ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदान उस प्रयोजन के लिये, जिसके लिये यह मंजूर किये गये है उसी प्रयोजन हेतु तय शर्तों अनुसार व समय में व्यय किया गये हैं अथवा नहीं ? अत: समिति द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को जारी अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को शीघ्र प्राप्त किए जाये तदानुसार कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.5 पंचायत समिति के चेयरपर्सन हेतु चयनित माह के दौरान प्रयुक्त टैक्सी किराया राशि ₹0.68 लाख के भुगतान में पाई गई अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(2)10/2004-05-H दिनांक 07-09-2021 के द्वारा पंचायत समिति निधि में से समिति के अध्यक्ष को अधिकारिक दौरे व विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु निधि की उपलब्धतता के अधीन महीने में अधिकतम 1000 किलोमीटर तक टैक्सी किराया दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

पंचायत समिति सलूणी के चयनित माह के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत समिति की अध्यक्षा को अधिकारिक दौरे व विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु टैक्सी किराये पर ली गई थी जिसके एवज में राशि ₹45000 का भुगतान दिनांक 06-03-2023 व राशि ₹22500 का भुगतान दिनांक 25-09-2023 को मैं०विजय कुमार ट्रांसपोर्टर सलूणी को किया गया था। आगे अंकेक्षण में यह पाया गया कि, वाहन की लॉग बुक व अन्य अभिलेखों में कटिंग व ओवरराइटिंग की गई थी व यात्रा का उद्देश्य, निरीक्षण किये गये विकास कार्यों का विवरण नहीं दिया गया था जिससे कि यह

सत्यापित नहीं किया जा सका कि, जो यात्रा दर्शाई गई थी केवल अधिकारिक थी तथा उन स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु ही की गई।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 13-02-2025 द्वारा उक्त अनियमिता के सन्दर्भ में वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, उक्त अनियमितता की पंचायत समिति स्तर पर छानबीन की जाएगी। अत: उक्त अनियमितता को तथ्यों व समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

पंचायत समिति सलूणी के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन समिति द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 13-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत समिति की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

10.2 पंचायत समिति के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

पंचायत समिति सलूणी के नमूना अंकेक्षण में पंचायत समिति द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, समिति के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 13-02-2025 द्वारा समिति सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत समिति में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का नियमानुसार अनुरक्षण न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

अंकेक्षण दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या-04 दिनांक 04-02-2025 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा कहा गया कि, निम्नतालिका अनुसार सूचित किया कि अधिकतर रजिस्टर संधारित नहीं है एवं अन्य जो संधारित थे उने अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कि निम्न वांछित अभिलेखों में अभाव में समिति के रजिस्टरों का सत्यापन लेखा परीक्षा के दौरान नहीं किया जा सका।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
3.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
4.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
5.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
6.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
7.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं

8.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
9.	पंचायत समिति का स्टोक रजिस्टर	01 व 06	34	संधारित नहीं
10.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं
11.	मानदेय रजिस्टर	-	-	संधारित नहीं

अत: पंचायत समिति में उक्त अभिलेखों/रजिस्टरों का संधारण न किया जाना नियमानुसार अनियमित व आपत्तिजनक है अत: उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत समिति सलूणी, की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 13-02-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, पंचायत समिति में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :**- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत समिति के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की संभावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

-2538-2541

(कृष्ण लाल नेगी) 02.5.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

02 MAY 2025 का0/50

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (7) 108/2022 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत

4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 02.5.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0/50

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of Panchayat Smiti Salooni for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1.P.S. Own Source ,5th SFC PS Honourium etc.)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	6373833.00	1332299.00	7706132.00	582767.00	7123365.00
2023-24	7123365.00	1325540.00	8448905.00	2698354.00	5750551.00

2. Grants in aid 15th FC

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	8947447.00	9087945.00	18035392.00	6054407.00	11980985.00
2023-24	11980985.00	1055238.00	13036223.00	4342170.00	8694053.00

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत समिति सलूणी में उपरोक्त विवरण अनुसार कुल दो रोकड़बहियों का संधारण किया जा रहा है। जिनमे से पंचायत समिति स्व-स्त्रोत, 5वां वित्तायोग , ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के प्रतिनिधियों का मानदेय, विकास खंड सलूणी के सचिवों, तकनीकों सहायकों, चौकीदारों, सिलाई टीचरों का वेतन इत्यादि सभी का एकल मेनुअल रोकड़बही (15वें वित्तायोग सहित) में संधारण किया जा रहा है। केवल 15वें वित्तायोग की रोकड़बही का संधारण e-ग्राम swaraaj में अलग से किया जा रहा है।

नोट:एकल रोकड़बही संधारण के कारणस्व-स्त्रोत व 5वां वित्तायोग उक्त अथशेष बैंक पासबुक से लिया गया है।

(1+2)	**Closing balance as per Cash Book as on 31-03-2024 (5639937+ 8694053)**	**14444604.00**
	Closing balance as per Bank Passbooks as on 31-03-2024	**11774362.00**
	Net Difference (Less in Bank Pass book)	**2670242.00**

Panchayat Inspector
Block Dev. Office Salooni

		परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित					
Financial Position Grants in Aids of Panchayat Smiti Salooni for the Year to 2022-23 To 2023-24							
Sr.No	**Particulars**	**Year**	**Opening**	**Receipt**	**Total**	**Expenditure**	**Closing**
1	15TH FC	2022-23	8947447.00	9087945.00	18035392.00	6054407.00	11980985.00
		2023-24	11980985.00	1055238.00	13036223.00	4342170.00	8694053.00

Remarks : Closing balance of 15th FC in FY 2021-22 in previous Audit report's Finacial position shown as Rs6648915 as due to offline cash book but now it has corrected from e-gram swaraaj cash book actual balances has been taken i.e Rs.8947447

Panchayat Inspector
Block Dev. Office Salooni

परिशिष्ट - "3"

पंचायत समिति सलूणी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित)

Sr. No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier Detail	Amount	Remarks
1.15th FC	30/ 04-03-23	Computer & Printer	01@52200 01@9000	M/S Kalia Infotech Lachori, Salooni, Chamba	61200	**Tender**
2.15th FC	54/ 28-03-23	Office table, Chairs & Almirah etc.	-	M/S Sharma Furniture House PO Singadhar Tehsil Salooni, Chamba	39800	**Quotations**
3.15th FC	44/ 21-03-23	JCB for Earth cutting	82.60 hour @ 1100	M/S Pankaj Kumar PO Kharoti, Tehsil Salooni	90860	**Tender**
4.15th FC	45/ 21-03-23	JCB for Earth cutting	64.20 hour @ 1100	M/S Pankaj Kumar PO Kharoti, Tehsil Salooni	70620	**Tender**
5. 15th FC	60/ 29-03-23	Carrige of Sand, Agg.	-	M/S Ashwani Kumar Village Katara, Salooni	29566	**Quotations**
6.PS A	Nil/ 31-03-23	Lunch, Tea & Snacks	-	M/S Sharma Vaishno Dhaba ,Salooni	17730	**Quotations**
7.PS A	Nil/ 25-09-23	Lunch	70@170	M/S Hotel Salooni Hills , Salooni Chamba	11900	**Quotations**
8.PS A	Nil/ 25-09-23	Brass Pot & Crockery	01@5000 2808	M/S Prithvi Raj & Co , Salooni Chamba	7808	**Quotations**
				Total	**329484**	

Panchayat Inspector
Block Dev Office Salooni

परिशिष्ट - "4"

पंचायत समिति सलूणी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

प्रॉपर/टैक्स बिलों के बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने बारे (पैरा संख्या ३.1 में संदर्भित)

Sr. No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier Detail	Amount	Remarks
1.15th FC	30/ 04-03-23	Computer & Printer	01@52200 01@9000	M/S Kalia Infotech Lachori, Salooni, Chamba	61200	**Performa Bill**
2.15th FC	54/ 28-03-23	Office table, Chairs & Almirah etc.	-	M/S Sharma Furniture House PO Singadhar Tehsil Salooni, Chamba	39800	**Cash memo**
3.15th FC	44/ 21-03-23	JCB for Earth cutting	82.60 hour @ 1100	M/S Pankaj Kumar PO Kharoti, Tehsil Salooni	90860	**Performa Bill**
4.15th FC	45/ 21-03-23	JCB for Earth cutting	64.20 hour @ 1100	M/S Pankaj Kumar PO Kharoti, Tehsil Salooni	70620	**do**
5. 15th FC	60/ 29-03-23	Carrige of Sand, Agg.	-	M/S Ashwani Kumar Village Katara, Salooni	29566	**Plain paper**
6.PS A	Nil/ 31-03-23	Lunch, Tea & Snacks	-	M/S Sharma Vaishno Dhaba ,Salooni	17730	**Cash memo**
7.PS A	Nil/ 25-09-23	Lunch	70@170	M/S Hotel Salooni Hills , Salooni Chamba	11900	**Performa Bill**
8.PS A	Nil/ 25-09-23	Brass Pot & Crockery	01@5000 2808	M/S Prithvi Raj & Co , Salooni Chamba	7808	**do**
				Total	**329484**	

Panchayat Inspector
Block Dev Office Salooni

परिशिष्ट - "5"

पंचायत समिति सलूणी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बिना संयुक्त हस्ताक्षर आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का भुगतान करने बारे (पैरा संख्या१.2 में संदर्भित)

Sr. No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier Detail	Amount	Remarks
1.15th FC	30/ 04-03-23	Computer & Printer	01@52200 01@9000	M/S Kalia Infotech Lachori, Salooni, Chamba	61200	Not jointly signed
2.15th FC	54/ 28-03-23	Office table, Chairs & Almirah etc.	-	M/S Sharma Furniture House PO Singadhar Tehsil Salooni, Chamba	39800	do
3.15th FC	44/ 21-03-23	JCB for Earth cutting	82.60 hour @ 1100	M/S Pankaj Kumar PO Kharoti, Tehsil Salooni	90860	do
4.15th FC	45/ 21-03-23	JCB for Earth cutting	64.20 hour @ 1100	M/S Pankaj Kumar PO Kharoti, Tehsil Salooni	70620	do
5. 15th FC	60/ 29-03-23	Carrige of Sand, Agg.	-	M/S Ashwani Kumar Village Katara, Salooni	29566	do
6.PS A	Nil/ 06-03-23	Vehicle Hiring Charges	2000km @22.50	M/S Vijay Kumar Transporter, Salooni	45000	do
7.PS A	Nil/ 25-09-23	Vehicle Hiring Charges	1000km @22.50	M/S Vijay Kumar Transporter, Salooni	22500	do
8.PS A	Nil/ 31-03-23	Lunch, Tea & Snacks	-	M/S Sharma Vaishno Dhaba ,Salooni	17730	do
9.PS A	Nil/ 25-09-23	Lunch	70@170	M/S Hotel Salooni Hills , Salooni Chamba	11900	do
10.PS A	Nil/ 25-09-23	Brass Pot & Crockery	01@5000 2808	M/S Prithvi Raj & Co , Salooni Chamba	7808	do
				Total	**396984**	

Panchayat Inspector
Block Dev Office Salooni

25

परिशिष्ट "6" पैरासंख्या 9.4 में स.दर्शित

Details of Amount Transfer to Various Gram Panchayats with the respect of Panchayat Samiti Salooni for the year 2022-23 in month of March 2023

Sr.No	Name of work	G.P	Amount	Work Status	Remarks
1	C/o Drain at Vill Swai	Panjei	180000	Completed	
2	C/o Kudedan at Anjani Mata Mandir	Bhadela	180000	Completed	
3	C/o Drain at vill Galiya	Biana	180000	In progress	
4	C/o Drinking water tank at vill Dhampu 2	Gawalu	100000	In progress	
5	C/o Foothpath from vill Biana to Natod	Biana	120000	In progress	
6	C/o Foothpath from Jatrund Nala to Vill Manjhri	Gawalu	120000	Completed	
7	C/o Foothpath jamla to bharotha 1	Bhandal	120000	Completed	
8	C/o Tank Majiri	Biana	50000	Completed	
9	C/o Panihara at Talai	Kilod	180000	Completed	
10	C/o Path Jaddu Handpump to Ukhal	Biana	50000	Completed	
11	C/ o Link Road Drod to Khill	Pukhri	100000	Completed	
12	C/o Link Road Thola to Drod	Pukhri	120000	Completed	
13	C/o Path Village Khaloor to Bhingatar	Dand	50000	Completed	
14	C/o Panihara at Khaloor	Dand	50000	Completed	
15	C/o Panihara Sindla	Dand	80000	Completed	
16	C/o Panihara Bhukdiya Nala	Dand	100000	In progress	
	Total		**1780000**		

Panchayat Inspector
Block Dev Office Salooni

परिशिष्ट "5" पैरा संख्या 7.1 में सन्दर्भित

1.Yearly Shop rent in r/o Panchayat Smiti Salooni Distt. Chamba (H.P.)

Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Rebate	Closing Balance
2022-2023	384550	108360	492910	61860	0	431050
2023/2024	431050	108360	539410	45420	0	493990

Panchayat Inspector
Block Dev Office Salooni

168